संख्या-120/2015/आर-3222/26-3-2015-4(2)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 अक्टूबर 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना जनजातीय उपयोजना केअन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में जनजातियों के कल्याण के लिये निर्माण कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-76/2015/2364/26-3-2015-4(2)/2014, दिनांक-24.07.2015 एवं शासनादेश शुद्धि पत्र संख्या-94/2015/3011/26-3-2015-4(2)/2014, दिनांक-04.09.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के उक्त आदेश द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष की जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर में विकास कार्यो (इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली निर्माण) हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपया-300.00/-लाख (रूपया तीन करोड़ मात्र) धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन निर्गत की गयी है।

2- निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-202/113/ज.जा.वि./2015-16,दिनांक-21.09.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक-24.07.2015 एवं शासनादेश/शुद्धि पत्र दिनांक-04.09.2015 द्वारा निर्गत की गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति को संशोधित करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष की जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत लेखाशीर्षक "4225-02-796-01-0108-24" के अन्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के निम्नलिखित विकास कार्यो हेतु श्री राज्यपाल महोदय रूपया-300.00 लाख (रूपया तीन करोड़ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-348.86 लाख के सापेक्ष रूपया-124.00 लाख (रूपया एक करोड़ चैबिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत् शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

क सं	कार्य का नाम	कार्य की लम्बाई (मीटर में)	कार्य की लागत (लाख रूपये में)	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
1	जनजाति ग्राम घुमची प्राइमरी स्कूल से जनजाति बस्ती तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण	450	38.50	19.00
2	जनजाति ग्राम घुमची जनजाति बस्ती होते हुये मेन रोड़ तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	650	39.50	15.00
3	जनजाति ग्राम घुमची जनजाति बस्ती होते हुये पोखरे तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	200	18.71	8.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	जनजाति ग्राम बनकट में जूनियर हाईस्कूल से जनजाति बस्ती तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	480	35.50	15.00
5	जनजाति ग्राम बनकटा जनजाति बस्ती से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	145	13.37	6.00
6	जनजाति ग्राम पचमोहनी प्राइमरी स्कूल से जनजाति बस्ती होते हुये मेन रोड़ तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	500	39.80	15.00
7	जनजाति ग्राम पचमोहनी प्राइमरी स्कूल से जनजाति बस्ती तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	510	40.50	15.00
8	जनजाति ग्राम पचमोहनी में मुख्य रोड़ से पोखरे तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	135	15.82	6.00
9	जनजाति ग्राम परसाबुर्जग जनजाति बस्ती से मेन रोड़ तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	450	38.00	15.00
10	जनजाति ग्राम परसाबुर्जग जनजाति बस्ती से ग्राम पंचायत भवन तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	225	20.30	10.00
		कुल धनराशि	**300.00**	**124.00**

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवंटित की जायेगी एवं जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। उक्त कार्य हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण में विलम्ब होने से यदि लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर लिया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिये जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित करके पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में सुंसगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृति धनराशि का सक्षम स्तर से उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के बाद ही अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिब्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0108-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य (के0100%)-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-120/2015/3222(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्वार्थनगर।
3- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्वार्थनगर।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।